

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वनभूमि की माँग की सन्दर्भित आख्या

विकास खण्ड गरुड़ तहसील गरुड़ जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग स्वीकृत है। उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 3.00 किमी० है। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग में कुल 2.700 है० है। जिसमें सिविल सोयम 2.208 है० व वनपंचायत 0.00 है० है तथा नाप भूमि 0.492 है० है। इस मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम डोनी, मल्लाडोबा आबादी **311-00** लाभान्वित होंगे। यह कार्य जनहित में प्रस्तावित है।



अधिशष्णी अधिक्यन्ता
सिंचाई खण्ड, सड़क निर्माण विभाग
बागेश्वर (पी०एम०जी०एस०वाई)

महत्वपूर्ण/कैबिनेट

ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

संख्या: 4715/पी3-14/यू.आर.आर.डी.ए./13

दिनांक: 11 दिसम्बर, 2013

कार्यालय झाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पीड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून एवं उत्तरकाशी की 250-499 तक जनसंख्या की असंयोजित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार कुल 69 मार्ग, अनुमानित लम्बाई 685.55 किमी० का गणन किया गया है। इन मार्गों के विस्तृत सर्वेक्षण तथा मार्गों के समर्थन में पड़ने वाली वनभूमि एवं नापभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव तैयार करके पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार व राजस्व विभाग को प्रेषित किये जाने एवं एन०आर०आर०डी०ए०, भारत सरकार के अद्यतन निर्देशानुसार डी०पी०आर० गठन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है। डी०पी०आर० गठित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मार्ग का समर्थन कोर नेटवर्क के अनुरूप हो, यदि समर्थन कोर नेटवर्क के अनुरूप नहीं है, तो सम्बन्धित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिलाधिकारी एवं मा० सांसद महोदय से समर्थन का सत्यापन तथा सर्वे ऑफ इण्डिया के मानचित्र में मार्ग के समर्थन की स्थिति स्पष्ट करते हुए कोर नेटवर्क संसाधन प्रस्ताव सहित डी०पी०आर० गठित की जाये। तत्पश्चात् इन मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से प्राप्त होने पर पृथक से जारी की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(विनोद फोनिया)

सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को आपके 1718/01याता०(क)-30/2013 दिनांक 28.09.13 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।

प्रमुख विकास अधिकारी, पीड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी एवं नैनीताल।

अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, लोक निर्माण विभाग, मसूरी, अल्मोड़ा, ज्योतीकोट एवं श्रीनगर।

अधीक्षासी अभियन्ता, पी०आई०यू० (पी०एम०जी०एस०वाई०), कोदवार, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, पोखरी, अल्मोड़ा-1, अल्मोड़ा-2, सल्ट, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी-1, नरेन्द्रनगर, कालसी (देहरादून), उत्तरकाशी एवं नैनीताल।

संलग्नक-मथोपरि।

रूपम तामाडा
नोडल कार्याधीक्षक
एवं जम्मा

अधीक्षण अभियन्ता

पी० एम० जी० एस० वाई०
डी० पी० आर०, अल्मोड़ा

सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग

प्रपत्र - 2.2 (1)

परिशिष्ट-५

Proposed Road works under FMSBY

Attachment of G.O. No.

10

Attachment of G.O. No.							
Name of Road							
S. No.	Work	Unconnected Target Habitation	Population	From	To	Stage-I (Mts)	Approx. Length (Mts)
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Hindola to Kame-Khalpati M. Rd.	Sarkhola	1	15.00
18	Full	Sarkhola	277		Malona	1	5.00
19	Partial	Malona	271	Khalma-Jyoti-Pokhara	Kaljhapa Jyoti	1	3.00
20	Partial	Kaljhapa Jyoti	238	Mela-Gardhes Rd.	Dala Kote	1	5.00
21	Partial	Dala Kote	257	Sironiya	Toti Khatol	1	3.00
22	Partial	Toti Khatol	252	Chitragulla Road	Naubani	1	5.00
23	Partial	Naubani	251	Lechhamoti	Khorli	1	5.25
24	Partial	Khorli	250	Dwanto	Tisri	1	5.00
25	Partial	Tisri	447	Tamardham			
District: Pithoragarh							
26	Partial	Seri	467	Kumli	Seri	1	5.00
27	Partial	Seri Buraon	324	Jakh-Paon-Avadhut Rd.	Seri Buraon	1	15.00
28	Partial	Pali	468	Burta	Pali	1	5.00
District: Champawat							
29	Partial	Bajaur	492	Dikun-Dhyuti Rd.	Bajaur	1	5.00
30	Partial	Silaur	308	Tamkpur-Tawaghat Rd. Km 11	Silaur	1	3.00
District: Bageshwar							
31	Partial	Bauri	442	Bauri Khat	Bauri	1	5.00
32	Partial	Malla Doba	311	Dobhol Khat	Malla Doba	1	14.00
33	Partial	Gawa Simoli	203	Gadwa	Gawa Simoli	1	10.00
34	Partial	Rani Lakha	461	Jakot	Rani Lakha	1	8.00
District: Tehri							
35	Partial	Lawal Gao	252	Kandiyalgon-Tipri Rd.	Lawal Gao	1	8.00
36	Partial	Dhauri	290	Pilchi	Dhauri	1	9.30
37	Partial	Dhauri	312	Jakhryali	Dhauri	1	7.00
38	Partial	Danara	318	Bhauri-Gaja Rd.	Danara	1	4.00
39	Partial	Koti	266	Hindolabhat	Koti	1	6.33
40	Partial	Tiruna	350	Thoti-Koti Rd.	Tiruna	1&3	8.00
District: Dehradun							
41	Partial	Meghna	144	IPRR-Royal Rd-Kaldu M. Rd.	Meghna	1	5.00
District: Uttarkashi							
42	Partial	Kuthar	296	Deburkot	Kuthar	1	10.00
District: Nainital							
43	Partial	Bhona	491	Khatoli	Bhona	1	5.00
44	Partial	Tanda	365	Khatoli	Tanda	1	10.00
45	Partial	Bala	357	Wajana	Bala	1	3.00
46	Partial	Ghena	336	Dhauri	Ghena	1	16.00
47	Partial	Jashura	321	Pataliya	Jashura	1	7.00
48	Partial	Solo	277	Daridhar	Solo	1	4.00
Total				No. of Road = 69			555.58
							Habitation (250-499) - 89 Nos. Habitation (<250) - 04 Nos. Total Habitation - 93 Nos.

Chief Engineer &
Dy. Chief Executive,
URRDA

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्राकृप

आज दिनांक 11/12/2014 को श्री.एम.जी.सा.वार्ड सि.सं.वागेर (एजेन्सी का नाम) के द्वारा कोसाती से मल्लाडोबा तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाना हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय दन विभाग की ओर से श्री राजेश विभाग की ओर से श्री श्री.के.मिश्रा प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री विजय कुमार रा.श्री अन्य दावेदारों की ओर से श्री तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री के.एस.प्रस्तुत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरंखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरंखनों के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरंखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 546.667 (मी०) नाप भूमि से 2453.33 (मी०) सिविल भूमि से — (मी०) दन पचायत से — (मी०) आरक्षित दन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरंखन/स्थल के चयन में कुल 0.492 हे० नाप भूमि 2.208 हे० हे० सिविल भूमि — हे० दन पचायत भूमि — हे० आरक्षित दन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.208 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरंखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग दूध प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे जिनमें से बाज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरंखन के तुलना में जो वैकल्पिक समरंखन देखे गये उसमें 546.667 (मी०) नाप भूमि से 2453.33 (मी०) सिविल भूमि से — (मी०) दन पचायत से — (मी०) आरक्षित दन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरंखन/स्थल के चयन में कुल 0.492 हे० नाप भूमि 2.208 हे० हे० सिविल भूमि — हे० दन पचायत भूमि — हे० आरक्षित दन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.208 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरंखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 23 वृक्ष — प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे जिनमें से 0 बाज प्रजाति के प्रभावित होंगे। अतः परियोजना के निर्माण हेतु धननिष्ठ वैकल्प सख्खा प्रथम के दन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये दन भूमि को ही स्वीकृत है।

धननिष्ठ उपयुक्त स्थल/समरंखन आरक्षित दन — कक्षा से गुजरने/न स्थित है। इन कक्षा की वर्तमान दन आच्छादन — है एवं इन कक्षा में प्रजाति के दन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि 0.492 हे० पर प्रजाति के दन है एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर 2.208 प्रजाति के दन है जिनका वर्तमान दन आच्छादन 20 है। चुने गये समरंखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 79°37'32.00"E, 29°50'58"N तथा यह स्थल होनी से प्रारम्भ होता है तथा समरंखन का अन्तिम स्थल मल्लाडोबा है जिसका GPS मान 79°37'52.92"E है। चुने गये समरंखन/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान 79°37'33.00"E, 29°50'58"N, 79°37'29"E, 29°51'15", 79°37'32", 29°51'13.00"N & 79°37'40"E, 29°51'12"E हैं।

धननिष्ठ उपयुक्त स्थल/समरंखन किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है/ नहीं है।

धननिष्ठ उपयुक्त स्थल/समरंखन के चयन से प्रागयासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा / नहीं होगा।

इस समरंखन पर कोसाती से मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलबा उत्पन्न होगा उसका निस्तारण हेतु उभूकनी, मल्लाडोबा स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान निम्नवत है। अन्य आवश्यक विवरण 79°37'33.00"E, 29°50'58"N, 79°37'29"E, 29°51'15", 79°37'32", 29°51'13.00"N & 79°37'40"E, 29°51'12"E

हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(दन विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(राजस्थान सरकार)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(अन्य दावेदार)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
प्रमुख प्रांतीय निरीक्षक
वि० रा० गणेश (बागेश्वर)

हस्ताक्षर
(कोसाती)

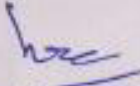
हस्ताक्षर
(कोसाती)

हस्ताक्षर
(कोसाती)

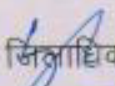
परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 2.208 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।


प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लोवा निर्माण विभाग
बागेश्वर (पी०एम०जी०एस०वाई)


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर,


जिलाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाहोला मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है।)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा (हे० में)	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवृत्त क्षेत्रफल (हे०)
सिविल एवं सोयम	अल्मोड़ा		ताकुला	317	0.032	35.56	9.00	0.032
				389	0.051	38.89	9.00	0.035
				391	0.131	22.22	9.00	0.020
				397	0.498	80.00	9.00	0.072
				398	0.482	50.00	9.00	0.045
				399	0.426	50.00	9.00	0.045
				400	0.231	72.22	9.00	0.065
				402	0.343	87.78	9.00	0.079
				403	0.389	71.11	9.00	0.064
				405	0.306	161.11	9.00	0.145
				406	0.981	94.44	9.00	0.085
				407	0.928	77.78	9.00	0.070
				410	0.515	61.11	9.00	0.055
				316	0.008	8.89	9.00	0.008
				317	0.010	11.11	9.00	0.010
				390	0.020	5.56	9.00	0.005
				401	0.050	22.22	9.00	0.020
सिविल सोयम (अल्मोड़ा) योग:-				5.411	950.000	153.000	0.855	

अधिसूची अधिनियम
सिंचाई अधिनियम (लोकनियंत्रित)
बागेश्वर

राज्य सरकार
बागेश्वर

तहसीलदार
सोमेश्वर

उप जिलाधिकारी
सोमेश्वर

तहसीलदार
गुरुद बागेश्वर

उप जिलाधिकारी
गुरुद
जनपद-बागेश्वर (उ० ख०)

पटवारी श्रेष्ठ की० प्र० बाटली
तहसील गुरुद (बागेश्वर)

ग्रामपंचायत वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर

अधिकारी
बागेश्वर

विभागाधिकारी,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी रो मल्ला डोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

(सिविल एवं सौर्यम, वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है।)

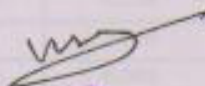
भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा (हे० में)	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवर्तित क्षेत्रफल (हे०)
नाप भूमि	बागेश्वर	गरुड	गरुड	2555	0.290	22.22	9.00	0.020
				2556	0.016	17.78	9.00	0.016
				2557	0.006	3.33	9.00	0.003
				2559	0.003	3.33	9.00	0.003
				2560	0.030	27.78	9.00	0.025
				2561	0.023	22.22	9.00	0.020
				2562	0.013	3.33	9.00	0.003
				2521	0.023	2.22	9.00	0.002
				2524	0.015	16.67	9.00	0.015
				2525	0.020	22.22	9.00	0.020
				2526	0.020	16.67	9.00	0.015
				2529	0.013	8.89	9.00	0.008
				2530	0.025	8.89	9.00	0.008
				2531	0.005	2.22	9.00	0.002
				2527	0.005	2.22	9.00	0.002
				2794	0.040	16.67	9.00	0.015
				2498	0.040	5.56	9.00	0.005
				2500	0.020	16.67	9.00	0.015
				2501	0.018	20.00	9.00	0.018
				2502	0.016	8.89	9.00	0.008
				2503	0.010	1.11	9.00	0.001
				2504	0.006	2.22	9.00	0.002
				2511	0.008	8.89	9.00	0.008
				2512	0.004	4.44	9.00	0.004
				2610	0.015	11.11	9.00	0.010
				2615	0.014	15.56	9.00	0.014
				2616	0.008	8.89	9.00	0.008
				2617	0.030	33.33	9.00	0.030
				2621	0.011	6.67	9.00	0.006
				871	0.011	12.22	9.00	0.011
				872	0.013	14.44	9.00	0.013
				873	0.046	51.11	9.00	0.046
				874	0.014	15.56	9.00	0.014
				877	0.091	11.11	9.00	0.010
				881	0.006	2.22	9.00	0.002
				936	0.079	66.67	9.00	0.060
				937	0.019	16.67	9.00	0.015
				938	0.048	11.11	9.00	0.010
				939	0.019	5.56	9.00	0.005
योग नाप भूमि:-					1.093	546.667		0.492

भूमि श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा (हे० में)	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवर्तित क्षेत्रफल (हे०)
सिविल एवं सोयम	बागेश्वर	गरुड	गरुड	2205	0.015	5.56	9.00	0.005
				2206	0.005	3.33	9.00	0.003
				2207	0.019	21.11	9.00	0.019
				2008	0.009	10.00	9.00	0.009
				2009	0.028	22.22	9.00	0.020
				2210	0.031	27.78	9.00	0.025
				2211	0.021	11.11	9.00	0.010
				2220	0.128	27.78	9.00	0.025
				2230	0.240	38.89	9.00	0.035
				2351	0.260	61.11	9.00	0.055
				2374	0.100	27.78	9.00	0.025
				2554	0.016	5.56	9.00	0.005
				2627	0.196	27.78	9.00	0.025
				2629	0.195	50.00	9.00	0.045
				2635	0.038	20.00	9.00	0.018
				2638	0.050	11.11	9.00	0.010
				2639	0.050	27.78	9.00	0.025
				2644	0.215	38.89	9.00	0.035
				2645	1.540	150.00	9.00	0.135
				3267	0.068	55.56	9.00	0.050
				3261	0.485	138.89	9.00	0.125
				3262	0.008	5.56	9.00	0.005
				3263	0.018	20.00	9.00	0.018
				3281	0.030	83.33	9.00	0.075
				3287	0.250	105.56	9.00	0.095
				3288	0.115	27.78	9.00	0.025
				2522	0.013	3.33	9.00	0.003
				2623	0.021	16.67	9.00	0.015
				2625	0.048	50.00	9.00	0.045
				2631	0.034	16.67	9.00	0.015
				3219	0.194	22.22	9.00	0.020
				3220	0.138	77.78	9.00	0.070
				3258	0.034	16.67	9.00	0.015
				2510	0.019	11.11	9.00	0.010
				2591	0.010	2.22	9.00	0.002
				2622	0.023	5.56	9.00	0.005
				2493	0.005	5.56	9.00	0.005
				2624	0.013	5.56	9.00	0.005
				3264	0.023	25.56	9.00	0.023
				3265	0.008	3.33	9.00	0.003
				3259	0.010	4.44	9.00	0.004
				3269	0.015	16.67	9.00	0.015
				2373	0.011	2.22	9.00	0.002
				2637	0.021	4.44	9.00	0.004
				2640	0.043	2.22	9.00	0.002
				3268	0.013	5.56	9.00	0.005

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा (हे० में)	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)
				3280	0.030	11.11	9.00	0.010
				2626	0.015	13.33	9.00	0.012
				2630	0.005	5.56	9.00	0.005
				2641	0.023	22.22	9.00	0.020
				920	0.069	58.89	9.00	0.053
				922	0.574	11.11	9.00	0.010
				935	0.013	11.11	9.00	0.010
				950	0.015	8.89	9.00	0.008
				934	0.005	3.33	9.00	0.003
				875	0.036	27.78	9.00	0.025
				919	0.024	4.44	9.00	0.004
				921	0.006	3.33	9.00	0.003
योग (सिविल सोयम बागेश्वर)					5.642	1503.333	9.000	1.353
कुल योग बागेश्वर (नाप+सिविल सोयम)					6.735	2050.000	9.000	1.845
महा योग:- (अल्मोडा+बागेश्वर)					12.146	3000.000	9.000	2.700


प्रयोजिता एजेन्सी

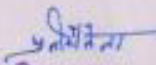

प्रभागीय वनाधिकारी


जिलाधिकारी
बागेश्वर

अविश्वी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर (पी०एन०जी०एस०याई)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर


राजेश उपनिषद
सूचना


तहसीलदार
सोमेश्वर


जिलाधिकारी
सोमेश्वर


जिलाधिकारी
बागेश्वर




जिलाधिकारी
गुरुद
जनपद-बागेश्वर (30 ख०)


जिलाधिकारी
सोमेश्वर
तहसील-बागेश्वर (30 ख०)

जिलाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण।

क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि	—	—	—
2	सिविल सोयम भूमि	2453.33	9.00	2.208
3	वन पंचायत भूमि	—	—	—
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	—	—	—
	वन भूमि का योग			
5	नाप भूमि	546.667	9.00	0.492
	कुल योग-			2.70

प्रशिक्षक एजेंसी

ਬੀ. ਆਰ. - 9.00 ਸੀ।

44411:— 1:5000



— 1994

प्राप्त:-
प्राप्त:-

8/8 - KN5

here

अभिधात्री अभिलेखा
पीपल्स वॉलीबल समारोह
विजय नगर अभियानम्
शिवाई जगड (तौनिकि)
सांगर

Handwritten signature and date: 12/12/2020

सहायक
राष्ट्रीय
सिनेमा

[illegible]

विना अधिकारी
निर्वाहिका
बन्मोह

Handwritten signature: *[Signature]*

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$
 2. $\frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{5}{20} + \frac{4}{20} = \frac{9}{20}$
 3. $\frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{4}{24} + \frac{3}{24} = \frac{7}{24}$
 4. $\frac{1}{10} + \frac{1}{12} = \frac{6}{60} + \frac{5}{60} = \frac{11}{60}$
 5. $\frac{1}{15} + \frac{1}{20} = \frac{4}{60} + \frac{3}{60} = \frac{7}{60}$
 6. $\frac{1}{18} + \frac{1}{24} = \frac{4}{72} + \frac{3}{72} = \frac{7}{72}$
 7. $\frac{1}{21} + \frac{1}{28} = \frac{4}{84} + \frac{3}{84} = \frac{7}{84}$
 8. $\frac{1}{25} + \frac{1}{30} = \frac{6}{150} + \frac{5}{150} = \frac{11}{150}$
 9. $\frac{1}{32} + \frac{1}{40} = \frac{5}{160} + \frac{4}{160} = \frac{9}{160}$
 10. $\frac{1}{35} + \frac{1}{42} = \frac{6}{420} + \frac{5}{420} = \frac{11}{420}$
 11. $\frac{1}{40} + \frac{1}{48} = \frac{3}{120} + \frac{2.5}{120} = \frac{5.5}{120}$
 12. $\frac{1}{45} + \frac{1}{54} = \frac{2}{90} + \frac{1.66}{90} = \frac{3.66}{90}$
 13. $\frac{1}{50} + \frac{1}{60} = \frac{6}{300} + \frac{5}{300} = \frac{11}{300}$
 14. $\frac{1}{56} + \frac{1}{70} = \frac{5}{280} + \frac{4}{280} = \frac{9}{280}$
 15. $\frac{1}{63} + \frac{1}{84} = \frac{4}{252} + \frac{3}{252} = \frac{7}{252}$
 16. $\frac{1}{70} + \frac{1}{90} = \frac{9}{630} + \frac{7}{630} = \frac{16}{630}$
 17. $\frac{1}{72} + \frac{1}{100} = \frac{25}{1800} + \frac{18}{1800} = \frac{43}{1800}$
 18. $\frac{1}{80} + \frac{1}{110} = \frac{11}{880} + \frac{8}{880} = \frac{19}{880}$
 19. $\frac{1}{90} + \frac{1}{120} = \frac{4}{360} + \frac{3}{360} = \frac{7}{360}$
 20. $\frac{1}{100} + \frac{1}{140} = \frac{7}{700} + \frac{5}{700} = \frac{12}{700}$
 21. $\frac{1}{110} + \frac{1}{150} = \frac{15}{1650} + \frac{11}{1650} = \frac{26}{1650}$
 22. $\frac{1}{120} + \frac{1}{160} = \frac{4}{480} + \frac{3}{480} = \frac{7}{480}$
 23. $\frac{1}{130} + \frac{1}{170} = \frac{17}{2210} + \frac{13}{2210} = \frac{30}{2210}$
 24. $\frac{1}{140} + \frac{1}{180} = \frac{9}{1260} + \frac{7}{1260} = \frac{16}{1260}$
 25. $\frac{1}{150} + \frac{1}{200} = \frac{4}{600} + \frac{3}{600} = \frac{7}{600}$
 26. $\frac{1}{160} + \frac{1}{210} = \frac{21}{3360} + \frac{16}{3360} = \frac{37}{3360}$
 27. $\frac{1}{170} + \frac{1}{220} = \frac{22}{3740} + \frac{17}{3740} = \frac{39}{3740}$
 28. $\frac{1}{180} + \frac{1}{240} = \frac{4}{720} + \frac{3}{720} = \frac{7}{720}$
 29. $\frac{1}{190} + \frac{1}{250} = \frac{25}{4750} + \frac{19}{4750} = \frac{44}{4750}$
 30. $\frac{1}{200} + \frac{1}{260} = \frac{13}{2600} + \frac{10}{2600} = \frac{23}{2600}$
 31. $\frac{1}{210} + \frac{1}{280} = \frac{4}{560} + \frac{2}{560} = \frac{6}{560}$
 32. $\frac{1}{220} + \frac{1}{300} = \frac{15}{3300} + \frac{11}{3300} = \frac{26}{3300}$
 33. $\frac{1}{230} + \frac{1}{320} = \frac{32}{7360} + \frac{23}{7360} = \frac{55}{7360}$
 34. $\frac{1}{240} + \frac{1}{350} = \frac{35}{8400} + \frac{24}{8400} = \frac{59}{8400}$
 35. $\frac{1}{250} + \frac{1}{360} = \frac{36}{9000} + \frac{25}{9000} = \frac{61}{9000}$
 36. $\frac{1}{260} + \frac{1}{380} = \frac{19}{4940} + \frac{13}{4940} = \frac{32}{4940}$
 37. $\frac{1}{270} + \frac{1}{400} = \frac{40}{10800} + \frac{27}{10800} = \frac{67}{10800}$
 38. $\frac{1}{280} + \frac{1}{420} = \frac{3}{280} + \frac{2}{280} = \frac{5}{280}$
 39. $\frac{1}{290} + \frac{1}{440} = \frac{44}{12760} + \frac{29}{12760} = \frac{73}{12760}$
 40. $\frac{1}{300} + \frac{1}{460} = \frac{23}{6900} + \frac{15}{6900} = \frac{38}{6900}$
 41. $\frac{1}{310} + \frac{1}{480} = \frac{48}{14880} + \frac{31}{14880} = \frac{79}{14880}$
 42. $\frac{1}{320} + \frac{1}{500} = \frac{25}{4000} + \frac{16}{4000} = \frac{41}{4000}$
 43. $\frac{1}{330} + \frac{1}{520} = \frac{52}{17160} + \frac{33}{17160} = \frac{85}{17160}$
 44. $\frac{1}{340} + \frac{1}{540} = \frac{27}{4590} + \frac{17}{4590} = \frac{44}{4590}$
 45. $\frac{1}{350} + \frac{1}{560} = \frac{16}{2240} + \frac{10}{2240} = \frac{26}{2240}$
 46. $\frac{1}{360} + \frac{1}{580} = \frac{58}{20880} + \frac{36}{20880} = \frac{94}{20880}$
 47. $\frac{1}{370} + \frac{1}{600} = \frac{60}{22200} + \frac{37}{22200} = \frac{97}{22200}$
 48. $\frac{1}{380} + \frac{1}{620} = \frac{31}{23960} + \frac{23}{23960} = \frac{54}{23960}$
 49. $\frac{1}{390} + \frac{1}{640} = \frac{64}{24840} + \frac{39}{24840} = \frac{103}{24840}$
 50. $\frac{1}{400} + \frac{1}{660} = \frac{33}{13200} + \frac{20}{13200} = \frac{53}{13200}$
 51. $\frac{1}{410} + \frac{1}{680} = \frac{68}{27880} + \frac{41}{27880} = \frac{109}{27880}$
 52. $\frac{1}{420} + \frac{1}{700} = \frac{5}{42} + \frac{1}{70} = \frac{25}{210} + \frac{3}{210} = \frac{28}{210}$
 53. $\frac{1}{430} + \frac{1}{720} = \frac{72}{30960} + \frac{43}{30960} = \frac{115}{30960}$
 54. $\frac{1}{440} + \frac{1}{740} = \frac{37}{3740} + \frac{22}{3740} = \frac{59}{3740}$
 55. $\frac{1}{450} + \frac{1}{760} = \frac{76}{34200} + \frac{45}{34200} = \frac{121}{34200}$
 56. $\frac{1}{460} + \frac{1}{780} = \frac{39}{14580} + \frac{23}{14580} = \frac{62}{14580}$
 57. $\frac{1}{470} + \frac{1}{800} = \frac{80}{37600} + \frac{47}{37600} = \frac{127}{37600}$
 58. $\frac{1}{480} + \frac{1}{820} = \frac{41}{4080} + \frac{24}{4080} = \frac{65}{4080}$
 59. $\frac{1}{490} + \frac{1}{840} = \frac{84}{41160} + \frac{49}{41160} = \frac{133}{41160}$
 60. $\frac{1}{500} + \frac{1}{860} = \frac{43}{4300} + \frac{25}{4300} = \frac{68}{4300}$
 61. $\frac{1}{510} + \frac{1}{880} = \frac{88}{44880} + \frac{51}{44880} = \frac{139}{44880}$
 62. $\frac{1}{520} + \frac{1}{900} = \frac{225}{23100} + \frac{44}{23100} = \frac{269}{23100}$
 63. $\frac{1}{530} + \frac{1}{920} = \frac{92}{48360} + \frac{53}{48360} = \frac{145}{48360}$

2020/04/24

Signature: _____

दिनांक २६/०५/२०२०
 २०२०
 २०२०

प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि

राजस्थान उपनिवेशक
पटवारी क्षेत्र कार्यालय, पटवारी
राजस्थान गारुड (बागेश्वर)
गारुड, बागेश्वर

संस्कृत-भाषायां (१०००)

सुनिश्चित है कि आप इसका उपयोग करेंगे।
आपके लिए।
आपके लिए।
आपके लिए।

कोसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 किमी० के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.208 हे० वनभूमि है सिविल सोयम बरदियाकोट की भूमि में वृक्षारोपण हेतु क्षतिपूरक बनीकरण आगणन।

कार्य का नाम:- जनपद बागेश्वर में पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, बागेश्वर के अन्तर्गत कोसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 किमी०।

2- पौधारोपण स्थल का नाम:- सिविल सोयम भूमि ग्राम-बरदियाकोट, कपकोट रेन्ज

3 रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- 4416 पौधे

4- रोपित की जाने वाली प्रजाति- बाज, फल्यांट, उत्तीस, ज्वैराल आदि।

क्र० सं०	कार्य का नाम	संख्या	मपत			मात्रा	दर प्रति	धनराशि
			लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रथम वर्ष सर्वे कार्य					2.208	97.00	214.176
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण मय सीमांकन	2.208	-	-	-			
2	अग्रिम दीवालबन्दी (फिन्सिंग) प्रति हे० 84घ०मी० औसतन	2.208	-	-	-	83.00	315.00	26145
3	गड़दा खुदान कार्य	4416	0.30	0.30	0.45	4416	7.33	32369.28
4	गड़दा भरान कार्य	4416	-	-	-	4416	1.15	5078.4
5	पौधों का रोपण	4416	-	-	-	4416	2.06	9096.96
6	पौध बुलान कार्य 8 किमी०	4416	-	-	-	4416	6.39	28218.24
7	पौधों की कीमत	4416	-	-	-	4416	7.04	31088.64
8	पौधों की निचाई गुड़ाई वर्ष 2 बार	4416	-	-	-	4416	0.76	3356.16
9	पौधों की देखरेख व रखरखाव रोपण वर्ष 8 माह (अगस्त से मार्च तक)	2.208	8 माह	-	-	-	4768.00	10527.74
10	साईन बोर्ड बनाना, लिखना आदि	1	LS	-	-	LS	700.00	700.00
	प्रथम वर्ष का योग							146794.60
2	द्वितीय वर्ष देखरेख व रखरखाव आदि 12 माह (कम से कम 10 हे०)	2.208	12 माह	दर रु० 7152.00 प्रति वर्ष प्रति हे०				15791.616
	द्वितीय वर्ष का योग							15791.616
3	तृतीय वर्ष देखरेख व रखरखाव आदि 12 माह (कम से कम 10 हे०)	2.208	12 माह	दर रु० 7152.00 प्रति वर्ष प्रति हे०				15791.616
	तृतीय वर्ष का योग							15791.616
4	चतुर्थ वर्ष देखरेख व रखरखाव आदि 12 माह (कम से कम 10 हे०)	2.208	12 माह	दर रु० 7152.00 प्रति वर्ष प्रति हे०				15791.616
	चतुर्थ वर्ष का योग							15791.616
5	पंचम वर्ष देखरेख व रखरखाव आदि 12 माह (कम से कम 10 हे०)	2.208	12 माह	दर रु० 7152.00 प्रति वर्ष प्रति हे०				15791.616
	पंचम वर्ष का योग							15791.616
	छठे वर्ष से 10वें वर्ष तक का रखरखाव व्यय	2.208	60 माह	दर रु० 7152.00 प्रति वर्ष प्रति हे०				78958.08
								78958.08
	योग:-							288919.14
	कुल योग:-							288920.00

(रु० दो लाख अठठासी हजार नौ सौ बीस मात्र)

4/10/20
J.E

4/10/20

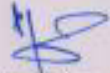
हस्ताक्षर
सिंचाई खण्ड सी० नि० वि०
(PMGSY) बागेश्वर

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित बदियाकोट सिविल (श्रेणी 9(3) ख) स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।



प्रभागीय वनाधिकारी

अध्यापक वनाधिकारी,
बागेश्वर वन विभाग,
बागेश्वर,

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

10 व्षीय क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आने वाले व्यय वहन प्रमाण पत्र

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कार्यो में जो भी व्यय होगा उसे ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।

<i>Signature</i> कनिष्ठ अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।	<i>Amount</i> सहायक अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।	<i>Signature</i> अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, बागेश्वर। अधिशाली अभियन्ता सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग बागेश्वर (पी०एम०जी०एस०वाई०)
--	--	--

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नमल्ल परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 11.12.2014 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा गन्तव्य भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई। निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिदार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	वनब्लॉक / कंपार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग								योग
					20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1.	आरक्षित वन भूमि				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	सिविल सोयम	कौसानी (डोनी)	पीड़ हरा खड़ा		12	2	1	-	-	-	-	-	15
		डोबा	पीड़ हरा खड़ा		-	-	2	3	-	-	-	-	5
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	वन पचायत				-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	निरक्षित वन				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग : वन भूमि				12	2	2	3	-	-	-	-	20
5.	नाप भूमि	डोबा	पीड़ हरा खड़ा		1	1	-	-	-	-	-	-	2
			बुरीस हरा खड़ा		-	1	-	-	-	-	-	-	1
	कुल योग				13	4	2	3	-	-	-	-	23

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

राजि अधिकारी
वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र (बल्थडा)

प्रभागीय वन अधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर.

राजस्व विभाग

जिलाधिकारी
बिलासपुर

वन क्षेत्र अधिकारी
बल्थडा वन क्षेत्र (पुरडा)

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग।

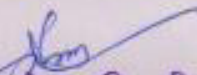
परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।
आरक्षित वन भूमि/सिविल सोयम भूमि/वन पंचायत भूमि/संरक्षित वन भूमि/नाप भूमि

क्र.सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	चीड़ हरा खड़ा	20-30	13		
	चीड़ हरा खड़ा	30-40	4		
	चीड़ हरा खड़ा	40-50	2		
	चीड़ हरा खड़ा	50-60	3		
		80-90			
3	बुर्रास हरा खड़ा	30-40	1		
		कुल योग	23		


राजी अधिकारी
वन क्षेत्र अधिकारी,
बागेश्वर वन क्षेत्र (पुर्वांचल)


राजी अधिकारी
वन क्षेत्र अधिकारी,
बागेश्वर वन क्षेत्र (पुर्वांचल)

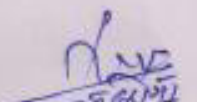

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर.

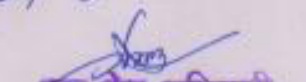

वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र (पुर्वांचल)

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	प्रजाति	व्यास वर्ग								योग
			20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1.	आरक्षित वन भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	सिद्धिल सोयम	चीड़ हरा खड़ा	12	2	1	-	-	-	-	-	15
		चीड़ हरा खड़ा	-	-	2	3	-	-	-	-	5
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	वन पंचायत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	सरक्षित वन		-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग :- वन भूमि		12	2	3	3	-	-	-	-	20
5.	नाप भूमि	चीड़ हरा खड़ा	1	1	-	-	-	-	-	-	2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बुरीत हरा खड़ा	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	कुल योग :-		13	4	3	3	-	-	-	-	23


राजि अधिकारी
वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र (पुर्वांचल)


वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र (पुर्वांचल)


प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर

प्रारूप-22

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24-03-15 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	वनप्लॉक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	योग
1.	आरक्षित वन भूमि		बाँज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	सिविल सौयम		बाँज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	वन पंचायत		बाँज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	संरक्षित वन		बाँज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग :- वन भूमि			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	नाप भूमि		बाँज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग :-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।


वन क्षेत्र अधिकारी
बनाय वन क्षेत्र (पुरड़ा,


वन क्षेत्र अधिकारी,
श्रीधरचंद वन क्षेत्र (बल्लोड़ा)


प्रभारी वन अधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर

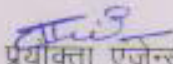
वन संरक्षक,

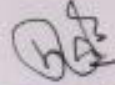
परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र.सं	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1.	आरक्षित वन भूमि			
2.	सिविल सोयम	20	20	
3.	वन पंचायत	—	—	
4.	संरक्षित वन	—	—	
	योग :- वन भूमि	22	22	
5.	नाप भूमि	3	3	
	कुल योग :-	23	23	

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


प्रियंका एजेन्सी


वन अधीक्षक,
कौसानी वन क्षेत्र (अन्तर्गत),

वन क्षेत्र अधिकारी
जनपद वन क्षेत्र (पुरडा)


प्रभागीय वनाधिकारी
जनपद वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर,

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिसायी अभियन्ता
सिंघाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर (पी०एम०जी०एस०वाई)


प्रभागीय वनाधिकारी
जनपद बागेश्वर,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर,

Y4H-2.19 (I)

MUCK DISPOSAL PLAN

MUCK DISPOSAL EXCERSISES INDEX

- 1- Construction of Kausani to Malladoba Motor Road Under PMGSY Disposal Annexure I
- 2- Detail of Muck Disposal Yards with Land Owner Annexure II

Jed
J.E.

ghant
A.E.

hze
E.E.

Annexure-I

Name of Work:- Construction of Kausani to Malladoba M/R

Sl. No	Material Received from hill side cutting 1/2 (3.00x3x3x1000) = 38250.00	13500.00	Cum
	40% for swell factor	5400.00	
	Total	18900.00	
Disposal and use of material			
1	R.R. Stone Masonry 1:5		743.04
2	R.R. Stone Masonry Dry		1883.52
3	Hand packed stone filling		1089.97
4	Construction of Wirecrates		1296.00
5	Construction of Scupper		1176.37
6	Granular Sub Base/Base Surface		913.85
7	C.R. 1:4/1:5		1636.43
8	Quantity of matrial to be disposed along the road side 25% of hill side cutting		4725.00
	Total Used		13464.17
	Material Disposal by cartage in dumping yard		5435.83

Location and Quantity of Debris Disposal

Location of dumping yard	Size of Dumping Yard	Type of Land	Capacity of dumping Yard (Cum)
1/24	31x20x2	Private Land	1240.00
2/3	20x12x2	Private Land	480.00
2/3	38x10x2	Private Land	760.00
2/19	46x10x2	Private Land	920.00
2/20	27x20x2	Private Land	1080.00
2/22	38x10x2	Private Land	760.00
2/36	38.5x20x2	Private Land	1540.00
		Total	6780.00

Summary of Dabris Disposal

S.No	Total Dabris	Material Disposal by Cartage	Reused material for road construction
1	18900.00	5435.83	13464.17

[Signature]
A.E.

[Signature]
A.E.

[Signature]
E.E.

7

Detail of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail

अ. ए. ए. सिद्धान्त
सिद्धान्त का नाम और विषय
आइए

1957

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण

कार्य का नाम:- जनपद बागेश्वर में पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर के अन्तर्गत कोसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग।

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- मक डिस्पोजल हेतु विनियमित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल

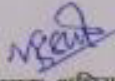
वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल:- 0.341 हे0

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- $0.341 \times 2000 = 682$ पौध

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	ईकाई	ईकाई दर (रु0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.341	हे0	97.00	33.08
2	स्थल सफाई कार्य	0.341	हे0	584.00	199.14
3	कुली दीवारबन्दी कार्य/फन्सिंग (150 मी0 प्रति हे0= 81 घ0मी0 @ 172/घ0मी0)	0.341	हे0	26460.00	9022.86
4	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित	682	गड्ढा	7.33	4999.06
5	डी0ए0पी0 खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्ढा				
6	निरीक्षण बटिया बनाना	0.341	हे0	485.00	165.39
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	682	पौध	5.89	4016.98
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10हे0) के आधार पर मानते हुए				
	1 वानस्पतिक/स्टेज चैक-डेन 8x8426=67408	0.341	हे0	93108.00	93108.00
	2 वाटर हार्वेस्टिंग टैंक (3x2.50x1.0)5x5140=25700.00				
	योग:- 67408 + 25700				
	अन्य कार्य		ल0स0	500.00	500.00
	योग:- प्रथम वरण				112044.51
द्वितीय वरण					
1	झाड़ी कटान (लैन्टाना गाजर घास/काला बांस)				
2	गड्ढा भरान कार्य (0.30 x 0.30 x 0.45)	682	गड्ढा	1.15	784.30
3	पौध बुलान कार्य	682	पौध	6.39	4357.98
4	पौधरोपण व थायलाबन्दी	682	पौध	2.06	1404.92
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई व मलिंग कार्य	682	पौध	0.76	518.32
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई व मलिंग कार्य	682	पौध	1.15	784.30
7	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	682	पौध	1.15	784.30
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय	0.341	हे0	4768.00 प्रति वर्ष	1625.89
9	रासायनिक दवा प्रति वर्ष	0.341	हे0	0.21	0.07
	घास घूस हटाना	0.341	हे0	350.00	119.35
	सुरक्षा पट्टी बनाना	0.341	हे0	225.00	76.73
	प्रचार प्रसार	0.341	हे0	400.00	136.40
	प्रोत्साहन	0.341	हे0	200.00	68.20
10	अन्य कार्य	0.341	हे0	700.00	238.70
	योग:- द्वितीय वरण				10899.45
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय वरण				122943.96

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	ईकाई	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
तृतीय चरण					
तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति हे०					
1	पीघ की लागत	682	पीघ	5.50	3751.00
2	पीघ ढूलान कार्य	682	पीघ	6.00	4092.00
3	पुनः गददे खोदना एवं रोपण कार्य	682	पीघ	3.20	2182.40
4	गददों में गोबर खाद डालना लागत सहित	682	पीघ	1.31	893.42
5	पीघों की शीतकालीन मलचिप	682	पीघ	1.11	757.02
6	वनीकरण बीबीदार (12 माह)	0.341	हे०	4768.00 प्रति वर्ष	1625.89
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.341	हे०	310.00	105.71
योग - तृतीय चरण					13407.44
चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य)					
1	वनीकरण बीबीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.341	हे०	4768.00 प्रति वर्ष	1625.89
2	अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य (4 माह)	0.341	हे०	310.00	422.84
योग - चतुर्थ चरण					2048.73
पंचम चरण (रख रखाव कार्य)					
1	वनीकरण बीबीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.341	हे०	4768.00 प्रति वर्ष	1625.89
2	अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य (4 माह)	0.341	हे०	310.00	422.84
योग - पंचम चरण					2048.73
षष्ठम चरण (रख रखाव कार्य)					
1	रोपण के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	0.341	हे०	4768.00 प्रति वर्ष	1625.89
2	अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य (4 माह)	0.341	हे०	310.00	422.84
योग - षष्ठम चरण					2048.73
सप्तम चरण (रख रखाव कार्य)					
1	रोपण के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	0.341	हे०	4768.00 प्रति वर्ष	1625.89
2	अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य (4 माह)	0.341	हे०	310.00	422.84
योग - सप्तम चरण					2048.73
अष्टम चरण (रख रखाव कार्य)					
1	रोपण के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	0.341	हे०	4768.00 प्रति वर्ष	1625.89
2	अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य (4 माह)	0.341	हे०	310.00	422.84
योग - अष्टम चरण					2048.73
नवम चरण (रख रखाव कार्य)					
1	रोपण के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह	0.341	हे०	4768.00 प्रति वर्ष	1625.89
2	अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य (4 माह)	0.341	हे०	310.00	422.84
योग - नवम चरण					2048.73

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	ईकाई	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
दशम् चरण (रख रखाव कार्य)					
1	रापण के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.341	हे०	4768.00 प्रति वर्ष	1625.89
2	अग्नि सम्बन्धित सुरक्षा कार्य (4 माह)	0.341	हे०	310.00	422.84
	योग - दशम् चरण				2048.73
	कुल धनराशि				112044.51
				प्रथम चरण	10899.45
				द्वितीय चरण	13407.44
				तृतीय चरण	2048.73
				चतुर्थ चरण	2048.73
				पंचम चरण	2048.73
				छठा चरण	2048.73
				साप्तम चरण	2048.73
				अष्टम चरण	2048.73
				नवम चरण	2048.73
				दशम चरण	2048.73
				कुल योग	150692.49
				या	150693.00


 सहायक अभियन्ता
 पी०म०जी०एस०वाइ० सिंघाई खण्ड,
 बागेश्वर।


 अधिशासी अभियन्ता
 अधिशासी अभियन्ता
 पी०म०जी०एस०वाइ० सिंघाई खण्ड,
 बागेश्वर।

व्यक्तिगत भूमि पर मलबा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग कौराानी-मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उसे प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरो पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

नाम चनरा राव रस गोपाल राव
ग्राम कौराानी स्टेट

कास सेक्शन 2/36

पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु

कास्तकार श्री चनरा राव

पुत्र श्री गोपाल राव

ग्राम कौराानी स्टेट

पट्टवारी वृत्त

कौराानी

जिला

बागेश्वर

के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है-

क्र0स0	खाता / खसरा नम्बर	भूमि (हे0)
11	861, 862, 870, 871	0.099

सहायक अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड बागेश्वर।

क्षेत्र सचिव उप निरीक्षक
जनपद-बागेश्वर।

व्यक्तिगत भूमि पर मलबा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग कौसानी-मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उसे प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

प्रमाण

नाम प्रखरा स्व. छपरा

ग्राम मल्लाडोबा

कास सेक्शन 2/22

पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु

काशतकार श्री इरन राफ

पुत्र श्री छपरा

ग्राम मल्लाडोबा

पट्टवारी वृत्त कौसानी

जिला बागेश्वर

के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है-

क0स0	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (हे0)
13	2360, 2361, 2363, 2364	0.038

सहायक अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड बागेश्वर।

राजस्व उप निरीक्षक

क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
जनपद-बागेश्वर।

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग कौसानी-मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उसे प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दशों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

नाम लाला राम सुबे
ग्राम मल्ला डोबा

कास सेक्शन 2/20

पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु

काशतकार श्री लाला राम

पुत्र श्री गुप राम

ग्राम मल्ला डोबा

पट्टवारी वृत्त

कौसानी

जिला

बागेश्वर

के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है-

क0स0	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (है0)
13	2354, 2355	0.054

सहायक अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई
सिंचाई खण्ड बागेश्वर।

राजेश्वर
क्षेत्र

क्षेत्र राजेश्वर उप निरीक्षक
जन्मदि-बागेश्वर।

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग कौसानी-मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उसे प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।


नाम हरिश्च राफ 510 भूप राफ
ग्राम मल्ला डोबा

कास संवर्षान हरिश्च राफ 2/19 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु
काशतकार श्री हरिश्च राफ पुत्र श्री भूप राफ
ग्राम मल्ला डोबा पट्टवारी वृत्त कौसानी जिला बागेश्वर
के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है-

क्र0सं0	खाता / खसरा नम्बर	भूमि (हे0)
13	23 52, 23 53	0.046


सहायक अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड बागेश्वर।


राज्य सरकार निमित्त
क्षेत्र बागेश्वर उप निरीवाक
जनपद-बागेश्वर।

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग कौसानी-मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उसे प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विमागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

नाम प्रताप सिंह इव बन्नी सिंह
ग्राम मल्ला डोबा

कास सेक्शन 2/3 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु
काशतकार श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री बन्नी सिंह
ग्राम मल्ला डोबा पट्टवारी वृत्त कौसानी जिला बागेश्वर
के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है-

क0स0	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (हे0)
05	8619, 2680	0.038

प्रताप सिंह
सहायक अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई
सिंचाई खण्ड बागेश्वर।

प्रताप सिंह
राजस्व उपा निरीक्षक
क्षेत्र बागेश्वर उपा निरीक्षक
जनपद-बागेश्वर।

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग कौसानी-मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उसे प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

नाम हरिश् चन्द
ग्राम मल्लाडोबा

कास संवशन 2/3

पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु

काशतकार श्री हरिश् चन्द

पुत्र श्री श्रीत दल

ग्राम मल्लाडोबा

पट्टवारी वृत्त मेवाड़ी

जिला मेवाड़

के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है-

क0स0	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (हे0)
05	2604	0.024

सहायक अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई
सिंचाई खण्ड बागेश्वर।

क्षेत्र निरीक्षक
जनपद-बागेश्वर।

व्यक्तिगत भूमि पर नलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड, बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग कौसानी-मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिसपोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उसे प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दलों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

अनी राय
नाम अनी राय स्व गोखर्दे राय
ग्राम मल्लाडोबा (पश्चिम)

कास सेक्शन 1/24

पर प्रस्तावित मक डिसपोजल हेतु

काशतकार श्री अनी राय

पुत्र श्री गुराई राय

ग्राम मल्लाडोबा

पट्टवारी वृत्त

कौसानी

जिला

बागेश्वर

के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है-

कॉस्ट	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (है)
01	3252, 3253, 3254, 3256	0.062

अनी राय
साहायक अभियन्ता

पीएमजीएसवाई
सिंचाई खण्ड बागेश्वर।

अनी राय
पुत्र राजस्व उप निरीक्षक
जनपद-बागेश्वर।

पिपरा, 13/10/2020

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 22 किमी० है।


प्रभागीय वन्याधिकारी

प्रभाग वन्याधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाव,
बागेश्वर.

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर,

प्रयोक्ता एजेन्सी

अतिरिष्टी अधिवक्ता
सिंचाई एवं जल विभाग
बागेश्वर (मो.एन.ए.सि.वा.ई.)

प्रारूप

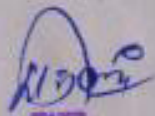
परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कोसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग।

ग्रामसभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कोसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 किमी० के निर्माण के लिए पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, बागेश्वर एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित समरेखन के सम्बन्ध में ग्रामसभा की आम बैठक की गई बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, बागेश्वर द्वारा जो समरेखन संख्या-1 तय किया गया है इस समरेखन के अन्तर्गत आने वाली हम कारस्तकारों की भूमि मोटर मार्ग के निर्माण के लिए देने को सहमत है। हम विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार है।

कारस्तकार का नाम	ग्रामसभा	हरताक्षर
हरीश चन्द	मल्लाडोबा	हरीश चन्द
Shin	मल्लाडोबा	Shin
मनोद सिंह	मल्लाडोबा	मनोद सिंह
पनी		सोनाराम
विभागीय		विभागीय
हरीश चन्द		हरीश चन्द
पूरनराम	मल्लाडोबा	पूरनराम
कुशाद सिंह		कुशाद



प्रधान

ग्राम पंचायत मल्लाडोबा
वि० ख० गुरुङ (बागेश्वर)

दिनांक 22/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत डीनी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री गोपाल सिंह मेहरा	
2.	श्री नन्दन सिंह मेहरा	
3.	श्री बहादुर सिंह मेहरा	
4.	श्री राम सिंह मेहरा	
5.	श्री शिव सिंह नेपाल	
6.	श्री किशन सिंह	
7.	श्री दिवान सिंह अल्मोड़ा	
8.	श्री हुकम सिंह	
9.	श्री नन्दन सिंह	
10.	श्रीमती शीला देवी	
11.	श्रीमती पुष्पा देवी	
12.	श्रीमती सावित्री देवी	
13.	श्री चान सिंह	
14.	राजेश्वर सिंह	
15.	लाल सिंह अल्मोड़ा	
16.	भूपाल सिंह	
17.	दिवान सिंह	
18.	मोहन सिंह	
19.	हिरा सिंह मेहरा	
20.	जोगा राम छि जगदीश	
21.	जमन सिंह राना	
22.	किशन सिंह बिष्ट	
23.	महेन्द्र कुमार	
24.	गोविन्द राम	
25.	केलाश राम	
26.	गोपाल राम	
27.	नन्दन सिंह राना	
28.	हरन राम	
29.	पत्नी राम	
30.	नन्दन राम	
31.	बिबलु अल्मोड़ा	

ग्राम प्रधान
प्रधान

ग्राम पंचायत डीनी
वि०ख० ताकुला (अल्मोड़ा)

ग्राम पंचायत सह्याद्रि

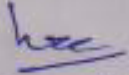
ग्राम प्रधान
11/10/24
ग्राम पंचायत मल्लाहीवा
पो ४३० गरुड (बागेश्वर)

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी-मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।



प्रयोक्ता एजेंसी

अधिराणी अनिवन्ता
सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर (सी०एन०सी०एस०वाई)



प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर.

2197-2-2007

**GEOLOGICAL INSPECTION REPORT WITH
FEASIBILITY STATEMENT FOR
CONSTRUCTING KAUSANI-MALLA DOBA
MOTOR ROAD. LENGTH- 3.000 KM. BLOCK-
GARUR, DIST.- BAGESHWAR
UNDER- PMGSY**

Submitted to

TECHNICAL CONSULTANCY SERVICES

14-C, Arawali Enclave, GMS Road

Dehradun, Uttarakhand

Submitted for

PMGSY

IRRIGATION-DIV, PWD

Bageshwar

Submitted by

Bhuvan Joshi

Empanelled Geologist, RQP, IBM
Forest & Rural Development Cell (FERDC)
Empanelment No. *URRDA/2008-09/3190*
Govt. of Uttarakhand
RQP Registration No. *RQP/DDN/180/2009/A*
Indian Bureau of Mines
Govt. of India

Address-

Progressive Geological & Geotechnical Services (PG25)

REGD. OFFICE

House No.-6, Karsal Bazar

Vijay Colony, Lane No.-2, Dehradun

Uttarakhand

E-mail: joshibhuvan@yahoo.co.in

MO. No. 99412152105

**"USE GEOLOGICAL KNOWLEDGE FOR MAKING DISASTER RESILIENT
COMMUNITY"**

2747-228(2)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के गरुड विकास खण्ड में कौशानी- से मल्लाडोभा मोटर कि०मी० 3.00 तक के समरेखण पर भू वैज्ञानिक निरीक्षण आख्या।

रिपोर्ट सन्दर्भ:- पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड लोक निर्माण खण्ड, बागेश्वर के कौशानी- से मल्लाडोभा गांव मोटर रोड का निर्माण किया जाना है। प्रदेश की ग्रामीण सड़कों की नोडल एजेन्सी उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की सलाहकार एजेन्सी, टेक्नीकल कन्सलटैन्सी सर्विसेज, 14-सी अरावली एन्कलेव, जी०एम०एस० रोड, देहरादून के अनुरोध पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित सड़क का भू-वैज्ञानिक निरीक्षण टी०सी०एस० के साईट प्रतिनिधि श्री रवी सिंह रावत एवं श्री मनोज आर्य द्वारा दिनांक 11.12.2014 को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद सहायक अभियन्ता श्री विजय कृष्णा कनिष्ठ अभियन्ता श्री एन०के०जोशी एवं श्री जे०पी०जोशी के साथ निरीक्षण किया गया।

जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड बागेश्वर में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत रेखोली से बौडी मोटर मार्ग हेतु विस्तृत सर्वेक्षण, डी०पी०आर० गठन व वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया जाना है। रेखोली से बौडी मोटर मार्ग को संयोजित करने हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया। दोनों संरेखणों का तकनीकी एवं आर्थिक मूल्यांकन करने पर संरेखण 1 (मानचित्र संलग्न) को उपयुक्त पाया गया है। संरेखण 1 कौशानी - धोपापानी मार्ग के कि०मी० 5.00 से प्रारम्भ होता है। संरेखण में 2 भी कौशानी - धोपापानी मार्ग के कि०मी० 5.00 से प्रारम्भ होता है। नियमानुसार अन्य तथ्य सही होने पर संरेखण 1 का भूवैज्ञानिक निरीक्षण किया गया इसी परपेक्ष में रिपोर्ट तैयार की गयी है जिससे प्रमुख हैजर्टस को समझते हुये प्रस्तावित सड़क के कन्स्ट्रक्शन प्लान को सुगम बनाया जा सके।

प्रस्तावित एलाईमेंट क्षेत्र रिजनली लेन्सज ऑफ मैगनेसाइट ,स्ट्रोमैटोलाईटिक डोलोमाईट स्थानीय रूप से देखने में आया है कि स्लोप प्रोफाईल मुख्य रूप से मध्यम है **Alignment starts with coordinate 79° 37' 32.08" E, 29° 50' 45.07" N and ends with 79° 37' 52.92" E, 29° 51' 14.66" N** स्थानीय रूप से देखने में आया है कि स्लोप प्रोफाईल मुख्य रूप से मध्यम है परन्तु कहीं कहीं पर तीव्र ढाल भी देखने में आते है। लेसर हिमालय के अल्मोड़ा वर्ग के ग्रेनाइट-ग्रेनोडायोराइट एवं सरियू फॉर्मेशन में फैला हुआ है। स्थल क्षेत्र में मिटटी एवं भूरे रंग की महीन एवं मोटे पर्त वाली ग्रेनाइट-नाइट्स सिशिट क्वारजाइट चट्टानें तीन प्रकार के ज्वाइंट से पूर्वोत्तर दिशा के झुकाव के साथ स्पष्ट दृष्टि गोचर है।

1. चट्टानों की ऊपरी सतह स्थान - स्थान पर Weathered है। जहाँ चट्टान Weathered नहीं है, वहाँ चट्टान की स्ट्रेन्थ अधिक है। चट्टान में सामान्यतः 3 से 4 सेट डिस्कन्ट्युनिटी पैटर्न भी पाया गया है। ढलानों पर कहीं-कहीं पर न्यून स्तर का भू-क्षरण भी देखने में आया है।

समरेखण उपयुक्ता स्टेटमेन्ट

उपरोक्त भूवैज्ञानिक तथ्यों एवं समुदाय की आवश्यकता को देखते हुये, समरेखण 1, प्रस्तावित ल० किमी० 3.00, कौशानी- से मल्लाडोभा मोटर मार्ग, संलग्न मानचित्रानुसार, विकासखण्ड- बागेश्वर, जनपद गरुड़ को **Conditionally Feasible** दिया जा सकता है बशर्ते अगले पैराग्राफ में दी गयी सलाहों का सड़क निर्माण में ध्यान दिया जाये।

(समरेखण, संलग्न मैप में अंकित)

प्रमुख सलाहें

1. हिल साईड में ड्रेन को **extra wide** बनाना चाहिये, जिससे कि अपहिल साईड से आने वाला पानी रोड पर और **down side the slope/wall of the road** पर ना आ सकें।
2. वर्षा के पानी का **local springs discharge water** के समुचित निकासी हेतु रोड साइड ड्रेन स्कूपर, काजवे, कल्वर्ट आदि का निर्माण किये जाय।
3. क्षेत्र की भूकम्पीय स्थिति को ध्यान रखते हुये **construction plan** तैयार किया जाय।
4. हिमालय की प्राकृतिक आपदाओं व पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुये शील कटान के वक्त जहाँ आवश्यक हो नियन्त्रित ब्लेस्टिंग की जाय। अन्यथा मैनुअली कटिंग की जाय।
5. हेयर पिन बेंडों को मानकों के अनुसार वर **Proper Drainage Arrangement** व प्रोपर सुरक्षा दियाल के अनुसार बनाया जाय।
6. कटिंग के दौरान निकले हुए मैटीरियल को पूर्व निर्धारित **dump yard** में डालना चाहिये, लोवर स्लोप में फेंकने से भूक्षरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। (**Muck disposal plan** होना चाहिये)।
7. जहाँ तक सम्भव हो बी०आई०एस० के **Hill area development** के कोड को फॉलो किया जाना चाहिए।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त आई०आर०सी०/आई०एस०कोड० में जो हिमालय में सड़क निर्माण वक्के लिये मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, को भी संज्ञान में लिया जा सकता है।
9. मोटर रोड हाफ कट एवं हाफ फिल टैक्निक, यदि जोन ज्यादा संवेदनशील होने पर बनाया जा सकता है, लेकिन फिलिंग मैटीरियल की सजबूती की तरफ ध्यान देना आवश्यक है।

Bhuvan Joshi
Empanelled Geologist
FRDC, Govt of Uttarakhand
RUP, Indian Bureau of Mines
Registration No. RUP/DDN/160/2009/A.
Govt. of India

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads. Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided. Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints. Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRRI. Several techniques have been sponsored by CRRRI like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting, coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
- (iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips. Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
- (v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा है।

प्रयोज्य एजेन्सी

अधिसायी अभियन्ता
सिंचाई, सड़क, जल, गंगा विभाग
बागेश्वर (पी०एम०सी०एस०वाई०)

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रयोज्य वन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचावेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आघातित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयाँ को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की नि:शुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरक्षण लेय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो०नि०वि० द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर में नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की समावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।

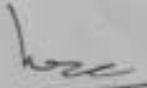
प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो० निर्माण विभाग
बागेश्वर (पी०एन०जी०एस०वाडी)

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


(प्रयोक्ता एजेन्सी)

अधिराशी अभियन्ता
सिंचाई एवं सड़क निर्माण विभाग
बागेश्वर (एन०एन०एन०एन०वाई)

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

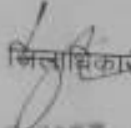
धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।


प्रयोज्य एजेंसी

अतिरिक्त अधिकारी
सिमाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर (पी०एच०डी०एच०एच०)


अतिरिक्त अधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।



प्रयोक्ता एजेन्सी

अखिल भारतीय अभियन्ता

सिंघाई स्थित ग्राम्य विकास विभाग

बागेश्वर (पिनकोड-246101)

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।



प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिराणी अभियन्ता

सिंघाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर (पीठमण्डली/रसोईगैस)

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्नलिखित स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र०स०	ग्राम का नाम	जनसंख्या
01	मल्लाडोबा	311=00
	/	/
	/	/
	/	/
	/	/
योग:-		311=00


प्रयोक्तृ एजेंसी

अतिरिक्त अधिकारी
सिन्धु घाट, लोक विकास विभाग
बागेश्वर (वि०एम०डी०एस०वाई०)

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाखोबा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी- V
2. हरियाली का घनत्व- 0.30 प्रतिशत
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0- 8.45 लाख
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- 2.700 हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि- 22.815 लाख

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर जन प्रभाग,
बागेश्वर,

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी